अध्याय - III

सुधार के उपाय तथा नीतिगत पहल

अध्याय - 3

सुधार के उपाय तथा नीतिगत पहल

3.1 नीतिगत पहल

छोटे तथा मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) जो 18.10.2007 से लागू है, के अंतर्गत, 4200 टन प्रतिवर्ष कोयले की वार्षिक आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से वितरण के लिए 8 मि.ट. कोयला निर्धारित किया गया है। ये एजेंसियां राज्य सरकार की एजेंसियां/केन्द्र सरकार की एजेंसियां / राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) / राष्ट्रीय लघ्यु उद्योग निगम (एनएसआईसी) इत्यादि अथवा वे उद्योग संघ हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार उचित समझती हो। इस प्रकार से अधिसूचित एजेंसी को कोयले कंपनी के साथ एफएस करार करना अपेक्षित होगा। इस प्रकार से अधिसूचित एजेंसी तब तक कोयला का वितरण करना जारी रखेगी जब तक राज्य सरकार उसके अधिसूचना का रद्द करने का निर्णय न ले। ये राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की एजेंसियां अपने निजी वितरण तंत्र बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे लेकिन उस तंत्र को आम लोगों का विश्वास प्राप्त हो और उसके फलस्वरूप कोयले का वितरण पारदर्शी तरीके से हो सके। संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के विभागों जिनका इन एजेंसियों पर प्रशासनिक नियंत्रण हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि लक्षित उपभोक्ता के लिए आवंटित कोयले का वितरण उचित और पारदर्शी तरीके से हो और इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए। ऐसी एजेंसियों से वसूला गया मूल्य एफएसए करार करने वाले अन्य उपभोक्ताओं का यथा लागू अधिसूचित मूल्य होगा लेकिन वह एजेंसी अपने उपभोक्ताओं से कोयला कंपनी द्वारा वसूली जाने वाली आधार मूल्य के अलावा वास्तविक धारा और सेवा प्रभार के रूप में 5% मार्जिन तक वसूलने का हकदार होगा।

वर्ष 2012-13 के लिए दिसम्बर, 2012 तक, 18 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों ने एजेंसियों के लिए अपने नामांकन / पुष्टि भेजी है जिनके पक्ष में लघु और मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वितरण के लिए कोयला रिलीज की जानी थी। 29 राज्य एजेंसियां हैं जिन्हें एफएसए के अंतर्गत निकासी के लिए 5.3 मि.ट. कोयला आवंटित किया गया था। परन्तु अभी तक 19 राज्य एजेंसियां एफएसए के अंतर्गत 3.962 मि.ट. कोयले की वार्षिक संविदात्मक मात्रा ले रहे हैं।

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. में उपभोक्ताओं का एनसीडीपी के पूर्व मौजूद कोर और गैर- कोर क्षेत्र में वर्गीकरण को एनसीडीपी में समाप्त कर दिया गया। एससीसीएल उद्योग विभाग की सिफारिश के आधार पर कोयले की आपूर्ति कर रही है। जिसमें उद्योग विभाग की सिफारिशों पर नियामक मात्रा और सिफारिश की गई मात्रा का उनका अधिकतम अनुमेय कोटा (एमपीक्यू) 75% निर्धारित करने पर विचार किया गया है। वे ईकाईयां जहां मात्रा 350 टीपीएम / 4200 टीपीए (सिफारिश की गई मात्रा का 75%) से कम है, कोयले की आपूर्ति अधिसूचित मूल्य पर की जाती है।

वर्तमान में, एससीसीएल एफएसए के अंतर्गत लघ्यु और मध्यम ईकाईयों को कोयले की आपूर्ति कर रहा है। सभी एफएसए में, आपूर्ति करने / खरीदने के लिए न्यूनतम बाध्यता वार्षिक संविदा मात्रा (एससीक्यू) का 60% रखा गया है। लघु और छोटे-छोटे उद्योगों जिनकी सिफारिश की गई मात्रा 350 टीपीएम से कम (नियामक मात्रा का 75%) है, को गैर-एफएसए श्रेणी के अंतर्गत अधिसूचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति की जाएगी।

3.2 " लागत जमा आधार" पर कोयले की आपूर्ति

इस योजना के अंतर्गत, वित्तीय रूप से गैर-व्यवहार्य विशिष्ट खानों / परियोजनाओं को 12% का आईआरआर सुनिश्चित करने और उत्पादन का एक निर्धारित स्तर बनाए रखने के लिए लागत जमा आधार पर पेशकश की जाती है। उपभोक्ताओं को ऐसे खानों / परियोजनाओं से कोयले की आपूर्ति के लिए लागत जमा करार करना अपेक्षित होता है। एनसीडीपी के पूर्व, लागत जमा आधार पर एलओए जारी करने के लिए उपभोक्ताओं को स्थायी लिकेंज समिति- दीर्घावधि (एसएलसी(एल-टी) द्वारा लागत जमा लिंकेज दिया गया था।

इस आशय के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, लागत जमा परियोजनाओं की पेशकश मौजूदा लिंकेज होल्डरों, एफएसए होल्डरों और फिर भावी एलओए आवेदकों को- आईपीपी सहित विद्युत क्षेत्र को वरीयता देते हुए, फिर उसके बाद उर्वरक, सीमेन्ट, स्पोंज ऑयरन को की जा सकती है। लागत जमा परियोजनाओं की अब पेशकश बहुसंख्यक उपभोक्ताओं को की जा सकती है और यदि लागू की गई कुल मात्रा अनुमानित उत्पादन से कम होता है, तब शेष मात्रा की पेशकश दीर्घावधि ई-नीलामी के माध्यम से की जा सकती है और ऐसे नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य का निर्धारण ऐसे खानों से उत्पादन की लागत को ध्यान में रखकर किया जा सकता है।

नीतिगत अधिसूचना से पूर्व ही डब्ल्यूसीएल ने एमएएचएजीईएनसीओ तथा एमपीपीजीसीएल को लागत जमा आधार पर आपूर्ति हेतु पांच परियोजनाओं की पहचान की है। नीति लागू हो जाने के पश्चात बारह परियोजनाएं जिनकी कुल वार्षिक उत्पादन 10.4 मि.ट. था, लागत तथा जमा के अंतर्गत आपूर्ति हेतु पेश की गई थी। अभी तक

एमएएचएजीईएनसीओ, अल्ट्राटेक सीमेंट तथा वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड के साथ लागत तथा एफएसए में 7.4 मि.ट. रूका पड़ा है।

3.3 कोयले का ई-नीलामी / ई-मार्केटिंग

भारत सरकार द्वारा 18.10.2007 को जारी नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) ने ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की ब्रिकी के लिए एक नई योजना को आरंभ करने के वास्ते मार्ग प्रशस्त किया। ई-नीलामी 2 तरह की होती है अर्थात मौके पर ई-नीलामी और फॉरवर्ड ई-नीलामी। मौके पर ई-नीलामी एनसीडीपी के पूर्व प्रचलित पुरानी ई-नीलामी योजना जैसी ही है जिसमें कोई भी इच्छुक क्रेता नीलामी में भाग ले सकता है। फॉरवर्ड ई-नीलामी के मामले में, केवल अन्त्य प्रयोक्ता / वास्तविक उपभोक्ता पात्र हैं जिन्हें 1 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान आपूर्ति का आश्वासन मिला हुआ है। प्रत्येक फॉरवर्ड ई-नीलामी 12 महीनों की अवधि के लिए होगी जिसमें प्रत्येक 3 महीने की तिमाही के बाद चौथी तिमाही होगी और उपभोक्ताओं को एक बार में किसी एक तिमाही अथवा सभी चार तिमाहियों के लिए बोली लगाने की छूट होगी। फॉरवर्ड ई-नीलामी के अंतर्गत पेशकश के लिए चयनित संसाधनों में कम से कम 15 दिनों के उत्पादन का अतिरिक्त भण्डार और एफएसए (ईंधन आपूर्ति करार) के अंतर्गत उपभोक्ताओं को समान्य प्रेषण सुनिश्चित करने के बाद ही होता है। जबकि मौके पर ई-नीलामी के मामले में वर्तमान में पेशकश किए गए कोयले न्यूनतम रिजर्व मूल्य के रूप में अधिसूचित मूल्य से 30% अधिक रखा गया था, फॉरवर्ड ई-नीलामी के मामले में, रिजर्व मूल्य का निर्धारण 31.12.2011 तक इस बात को ध्यान में रखे बिना कि क्या कोई खान लाभ में चल रहा है अथवा नहीं, कोयले की सभी श्रेणी के कोयले की अधिसूचित मूल्य जमा कोयले की अधिसूचित मूल्य का 60% पर निर्धारित किया गया था। जबकि मौके पर ई-नीलामी नवम्बर, 2007 से लागू है, फॉरवर्ड ई-नीलामी अगस्त, 2009 से शुरू हुई। फारवर्ड ई-नीलामी पहले शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि स्कीम में शामिल कुछ निबंधन व शर्तों के कार्यान्वयन में कठिनाईयां थी जिसका बाद में समाधान कर लिया गया था। प्रांरभ में फॉरवर्ड ई-नीलामी के अंतर्गत रिजर्व मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत जमा उचित रिटर्न अथवा अधिसूचित मूल्य से 100% ज्यादा इसमे से जो भी कम हो के रूप में किया गया था जो 31.03.2010 तक जारी रही। चूंकि यह नोट किया गया था कि इस प्रकार की अधिक रिजर्व मूल्य बाधक बन रहे हैं और इससे वास्तविक निष्पादन में रूकावट पैदा हो रही थी। तदनुसार, वर्ष के रिजर्व मूल्य अधिसूचित मूल्य से 80% अधिक तक कम कर दिया गया था। तब भी निष्पादन उत्साहजनक नहीं पाया गया। इसलिए, सितम्बर, 2010 से रिजर्व मूल्य को और अधिक घटाकर 60% कर दिया गया था इस आशा के साथ कि स्थिति में सुधार होगा। 01.01.2012 से जब कोयले का मूल्य निर्धारण जीसीवी प्रणाली से होने लगा तब से स्पॉट तथा फारवर्ड ई-नीलामी दोनों के लिए रिजर्व मूल्य के निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः

i) जब कोलियरी/स्रोत के लिए जीसीवी रेंज का मिड प्वाइंट 5500 कि.कैलोरी/कि.ग्रा. से अधिक हो, तब जीसीवी बैंड के अधिसूचित मूल्य के तदनुरूप ऐसा मिड प्वाइंट जो अन्य क्षेत्रों, बिजली कंपनियों (आईपीपी सहित), उर्वरक तथा रक्षा के लिए लागू हो, ई-नीलामी के लिए रिजर्व मूल्य होगा।

ii) जब कोलियरी/स्रोत के लिए जीसीवी रेंज का मिड प्वाइंट 5500 कि.कैलोरी/कि.ग्रा. से अधिक नह हो, तब जीसीवी बैंड के अधिसूचित मूल्य के तदनुरूप ऐसा मिड प्वाइंट जो अन्य क्षेत्रों, बिजली कंपनियों (आईपीपी सहित), उर्वरक तथा रक्षा के लिए लागू हो, के अतिरिक्त 20% ई-नीलामी के लिए रिजर्व मूल्य होगा।

एनसीडीपी के अंतर्गत, सीआईएल को यह अधिकार दिया गया है कि वह सीआईएल की अनुमानित वार्षिक उत्पादन का लगभग 10% की पेशकश करे और सफल बोलीदाताओं को आवंटित मात्रा 10% अथवा उससे अधिक रही है।

तालिका सं. 3.1

एनसीडीपी के कार्यान्वयन के बाद ई-नीलामी का निष्पादन

शीर्ष	मौके पर ई-नीलामी				फॉरवर्ड ई-नीलामी	
	अप्रैल 2009 - मार्च, 2010	अप्रैल 2010- मार्च,2011	अप्रैल 2011- मार्च,2012	अप्रैल 2012- दिस.,2012	अप्रैल 2011- मार्च,2012	अप्रैल 2012- दिस. 2012
बोलीदाताओं की सं.	78155	70977	82343	55696	464	265
सफल बोलीदाताओं की सं.	40848	43929	47860	30877	361	185
पेशकश की गई कुल मात्रा (लाख टन में)	541.392	552.71	574.79	345.4	124.17	68.13
आवंटित कुल मात्रा (लाख टन में)	457.321	465.57	497.21	300.83	75.5	37.61
कुल आवंटित मात्रा का अधिसूचित मूल्य (करोड़ रू. में)	4528.956	5048.86	8300	5038.62	907.8	550.58
कुल आवंटित मात्रा का बोली मूल्य (करोड़ रू. में)	7238.478	9120.92	13826.88	7616.1	1617.25	691.97
अधिसूचित मूल्य से % वृद्धि	59.8	80.7	66.6	55.1	78.15	25.68

एनसीडीपी के अनुसार, एससीसीएल दिसम्बर, 2007 से ई-नीलामी कर रहा है। दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2011 के दौरान एससीसीएल द्वारा मौके पर ई-नीलामी के आयोजन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

तालिका सं0 3.2

मौके पर ई-नीलामी की स्थिति

वर्ष	बेची गई मात्रा (लाख टन में)
2008-2009	26.34
2009-2010	18.61
2010-2011	53.15
2011-2012	29.72
2012-2013 (अप्रैल-जनवरी, 2013)	30.38

3.4 कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपाय :

चल रही तथा भावी परियोजनाओं से उत्पादन में व्यापक वृद्धि परिकल्पित है । बारहवीं योजना अवधि के समाप्ति वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं से उत्पादन में संभावित वृद्धि लगभग 114 मि.ट. होगी तथा भावी/नई परियोजनाओं से 97 मि.ट. होने की संभावना है ।

वर्तमान में 436.94 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता सहित 147 चालू परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है । इन परियोजनाओं से बारहवीं योजना अवधि की समाप्ति वर्ष के दौरान 326 एमटी का योगदान होने की संभावना है । इन 147 परियोजनाओं में से 82 परियोजनाओं के लिए अपेक्षित मंजूरी मिल गई है, 34 परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी की प्रतीक्षा है, 13 परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की प्रतीक्षा है तथा 18 परियोजनाओं के लिए पर्यावरण एवं वन मंजूरी दोनों अपेक्षित है । भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण लगभग 42 मुख्य परियोजनाएं प्रभावित है ।

उपर्युक्त के अलावा, सीआईएल ने कोयला उद्योग की वर्षभर रहने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :-

- सभी नई खानों को यंत्रीकृत किया जा रहा है ।
- भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों खानों में उत्पादकता बढ़ाना ।
- कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन स्तर में वृद्धि करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं । कुशल सुधार तथा आधुनिकीकरण द्वारा क्षमता उपयोगिता में सुधार करने के माध्यम से वर्तमान खानों से उत्पादन में वृद्धि की जा रही है ।
- कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन लक्ष्य हासिल करने हेतु समयबद्ध तरीके से चल रही परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।
- सभी सहायक कंपनियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ईसी/एफसी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परियोजनाएं समय पर उत्पादन प्रारंभ कर सके ।
- सहायक कंपनियों द्वारा राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ अभिज्ञात एवं विस्तार परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ।

एससीसीएल ने कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- यंत्रीकरण सहित नई खानों की आयोजना ।
- अपेक्षाकृत अधिक गहराई में स्थित भंडारों के निष्कर्षण के लिए उच्च क्षमता वाले लॉगवाल की शुरूआत ।
- सतत खनिकों की शुरूआत ।
- उत्पादकता बढ़ाने हेतु संसाधनों का ईष्टतम उपयोग ।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना ।

3.5 आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना

16 ओपनकास्ट परियोजनाओं/खानों (3 सीसीएल में, 6 एनसीएल में, 3 एसईसीएल में तथा 4 एमसीएल में) की पहचान की गयी थी जहां वर्तमान खानों/ परियोजनाओं से 87.50 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर बढ़ाया जा सकता था।

आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं :

तालिका 3.3
आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	2012-13 के लिए लक्ष्य (एम टी वाई)	टिप्पणी
1	लखनपुर ओपनकास्ट विस्तार, एमसीएल	10.00	15.00	5.00	116.54	15.00	116.54 करोड़ रू. की स्वीकृत पूंजी से 15 मि.ट. प्रतिवर्ष (वृद्धिक 5 मि.ट. प्रतिवर्ष) के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 08 में अनुमोदित हो गई है। ईएमपी अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। 19.01.12 को 94.399 हेक्टेयर के लिए वन मंजूरी दे दी गई है ।
2	अशोक ओपनकास्ट सीसीएल	6.50	10.00	3.50	341.63	8.70	10 मि.ट. प्रतिवर्ष (3.5 एमटीवाई वृद्धिक) के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 07 में अनुमोदित हो गई है। ईएमपी स्वीकृति मिल गयी है। रेलवे साइडिंग निर्माण में विलम्ब तथा वन भूमि के विलंबित विपथन जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की स्टेज-। मंजूरी हेतु लंबित है, के कारण परियोजना में विलंब हुआ है।
3	कनिहा ओपनकास्ट	3.50	10.00	6.50	457.77 (96.18 -	2.00	457.77 करोड़ रू. की पूंजी से 10 मि.ट. प्रतिवर्ष

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	2012-13 के लिए लक्ष्य (एम टी वाई)	टिप्पणी
	विस्तार, एमसीएल				मौजूदा पूंजी सहित)		(6.5 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) हेतु विस्तार परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 07 में अनुमोदित हो गई है। ईएमपी मंजूरी प्राप्त हो गई है । 167.70 हेक्टेयर वन भूमि की चरण-I की मंजूरी जिला समाहर्त्ता, अंगूल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने, डीएफ अंगूल द्वारा सीए योजना, डीजीपीएस नक्शा, वन्यजीव योजना न होने के कारण प्रतीक्षित है ।
4	भुवनेश्वरी विस्तार, एमसीएल	10.00	20.00	10.00	490.10 (336.68 - मौजूदा पूंजी सहित)	10.00	490.10 करोड़ रू. की पूंजी से 20 मि.ट. प्रतिवर्ष (वृद्धिक 10 मि.ट. प्रतिवर्ष) हेतु विस्तार परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 07 में अनुमोदित हो गई है। 20 एमटीवाई के लिए ईसी 30.11.12 को प्राप्त हो गई है ।
5	दीपिका ओपनकास्ट विस्तार, एसईसीएल	20.00	25.00	5.00	675.13	25.00	1946.66 करोड़ रूपए की संस्वीकृत पूंजी से (675.13 करोड़ की वृद्धि) 25 मि.ट. प्रति वर्ष (5 मि.ट. प्रति वर्ष की वृद्धि)का पीआर विस्तार दिसम्बर, 09 में अनुमोदित हो गई हैं । 148.87 हेक्टेयर वन भूमि सीए स्कीम तथा एफआरए के

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	2012-13 के लिए लक्ष्य (एम टी वाई)	टिप्पणी
							लिए राज्य स्तर स्टेज-II पर लंबित है, 33.84 हेक्टेयर वन भूमि एफआरए के अंतर्गत एनओसी के लिए राज्य स्तर स्टेज-II पर लंबित है तथा 206.64 हे0 वन भूमि अंतिम मंजूरी मिलने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में स्टेज-II स्तर पर लंबित है। 299.19 हेक्टेयर अन्य भूमि के लिए मुआवजा तैयार किया जा रहा है ।
6	गेवरा ओपनकास्ट विस्तार, एसईसीएल	25.00	35.00	10.00	1008.11	35.00	2675.67 (1008.11 करोड़ की वृद्धि) करोड़ रूपए की संस्वीकृत पूंजी से 35 मि.ट. प्रति वर्ष (10 मि.ट. प्रति वर्ष की वृद्धि) का पीआर विस्तार दिसम्बर,09 में 126.34 हे0 वन भूमि एफआरए तथा काश्तकारी के आरएण्डआर योजना के अंतर्गत एनओसी के लिए राज्य स्तर स्टेज-I पर लंबित है, 564.86 हे0, 46.20 हे0 तथा 192.05 हे0 के तीन अन्य प्रस्ताव नए दरों पर सीएम तथा पीसीए के अंतर का भुगतान, ग्राम सभा के संकल्प हेतु स्टेज-II पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंजूरी हेतु लंबित है।

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	2012-13 के लिए लक्ष्य (एम टी वाई)	टिप्पणी
							धारा 11(I) के अंतर्गत 896 हे0 काश्तकारी अधिसूचित की गई । 146 हे0 काश्तकारी भूमि के लिए मुआवजा दिया गया । भुगतान किया जा रहा है । पांडि (दूसरा विस्तार) की 291.285 हे0 भूमि 5.2.11 को धारा 11(I) के अंतर्गत अधिसूचित की गई है ।
7	कृष्णाशिला ओपनकास्ट, एनसीएल	4.00	4.00	-	741.62	4.00	जून, 11 में चल रही यूसीई परियोजना अनुमोदित हो गई है। 4 एमटीवाई के लिए ईएमपी अनुमोदित है । 5.0 के लिए ईसी प्रतीक्षित है । एफसी प्राप्त हो गई है । कब्जा तुरंत अपेक्षित है ।
8	अम्लोहरी ओपनकास्ट विस्तार, एनसीएल	4.00	10.00	6.00	1670.875 (1143.54 सहित वृद्धिक)	8.00	1670.65 करोड़ रू. की संस्वीकृत पूंजी (1143.54 करोड़ की वृद्धि) के लिए 10 मि.ट. प्रतिवर्ष (वृद्धिक 6मि.ट. प्रतिवर्ष) की विस्तार परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 09 में स्वीकृत हुई। 10 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए ईएमपी फरवरी,06 में प्राप्त किया गया।
9	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार, एसईसीएल	10.00	15.00	5.00	450.56	15.00	15 मि.ट. प्रतिवर्ष (5 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट 1188.31 करोड़ रू

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	2012-13 के लिए लक्ष्य (एम टी वाई)	टिप्पणी
							की संस्वीकृत पूंजी (450.56 करोड़ रू. की वृद्धिक पूंजी) जून, 08 में अनुमोदित हुई। 10 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए ईएमपी फरवरी, 06 में अनुमोदित की गई। 40.54 हे0 वन भूमि एफआरए के अंतर्गत एनओसी के लिए राज्य स्तर चरण-। पर लंबित है । 324.84 हे0 वन भूमि एफआरए के अंतर्गत एनओसी के लिए स्टेज-। स्तर पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास लंबित है तथा 72.42 हे0 (सम्मिलित) वन भूमि एफआरए के अंतर्गत एनओसी के लिए राज्य स्तर पर स्टेज-। पर लंबित है । 23 हे0 काश्तकारी भूमि के लिए मुआवजा तय हो गया है । भुगतान प्रगति पर है ।
10	ब्लाक बी ओपनकास्ट, एनसीएल	3.50	3.50	-	535.10	4.00	चालू परियोजना की यूसीई जून, 2011 में अनुमोदित। 43.32 हे0 अन्य भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान हो चुका है । धारा 9(।) के अंतर्गत 85 हे0 क्षेत्र अधिसूचित तथा राजस्व रिकार्ड एकत्र की जा रही

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	2012-13 के लिए लक्ष्य (एम टी वाई)	टिप्पणी
							है ।
11	मगध ओपनकास्ट विस्तार, सीसीएल	12.00	20.00	8.00	706.40 (कुल ओएस विकल्प)	0.00	706.40 करोड़ रू. (20 मि.ट. प्रति वर्ष) की संस्वीकृत पूंजी (236.62 करोड़ रू0 की वृद्धि)से विस्तार परियोजना रिपोर्ट 20 मि.ट. प्रतिवर्ष (8एमटीवाई की वृद्धि) अगस्त, 08 में अनुमोदित हुई। ईएमपी मंजूरी प्राप्त । काश्तकारी जमीन का वास्तविक कब्जा में ग्रामीणों द्वारा मानदंडों के बाहर मुआवजा एवं रोजगार की मांग के कारण बिलंब हुआ।
12	भरतपुर ओपनकास्ट विस्तार, एमसीएल	11.00	20.00	9.00	131.39 5 वर्ष के लिए कोयला एवं ओबी-ओएस वृद्धिक	10.00	विस्तार परियोजना रिपोर्ट 20 मि.ट.प्रतिवर्ष (9 एमटीवाई की वृद्धि) फरवरी, 07 में 131.39 करोड़ रू0 की बढ़ी हुई पूंजी के लिए अनुमोदित की गई। ईएमपी मंजूरी प्राप्त। 134.59 हेक्टे. वन भूमि राज्य स्तर पर चरण-। की मंजूरी के लिए लंबित है। 10.18 हे0 सुरक्षा जोन क्षेत्र के एफआरए हेतु प्रस्ताव सीसीएफ (नोडल) के पास लंबित है।
13	खादिया ओपनकास्ट	4.00	10.00	6.00	1131.28	4.50	विस्तार परियोजना रिपोर्ट 10 मि.ट. प्रतिवर्ष (6

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	2012-13 के लिए लक्ष्य (एम टी वाई)	टिप्पणी
	विस्तार, एनसीएल						मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) 1720.03 करोड़ रू0 की संस्वीकृत पूंजी (1131.28 करोड़ रू. की वृद्धिक पूंजी) के लिए जून,11 में अनुमोदित है। ईएमपी मंजूरी प्राप्त है । 14.09.2010 को स्टेज-II मंजूरी प्राप्त । 38 हे0 भूमि हस्तांतरित । शेष भूमि के लिए शीघ्र हस्तांतरण अपेक्षित ।
14	पिपरवार ओपनकास्ट, सीसीएल	6.50	10.00	3.50	21.87	11.00	विस्तार परियोजना रिपोर्ट 10 मि.ट. प्रतिवर्ष (3.50 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) सितम्बर 06 में 812.52 करोड़ रू0 (21.87 करोड़ रू0 की वृद्धि) की संस्वीकृत पूंजी हेतु अनुमोदित । ईएमपी मंजूरी प्राप्त । भूमि अधिग्रहण तथा रेलवे साइडिंग तैयार करने में विलम्ब के कारण पूरा होने में विलम्ब ।
15	जयंत ओपनकास्ट, एनसीएल	10.00	15.00	5.00	1060.03	13.00	चरण-I मंजूरी मिल गई है परन्तु विस्तारित क्षेत्र में ईएमपी मंजूरी में कमी के कारण अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी । 10 एमटीवाई खान क्षेत्र में 15.5 एमटीवाई के लिए ईएमपी मंजूरी प्राप्त । 94 हे0 वन

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	2012-13 के लिए लक्ष्य (एम टी वाई)	टिप्पणी
							भूमि चरण-I मंजूरी के लिए प्रतीक्षित ।
16	दुधीचुआ ओपनकास्ट, एनसीएल	10.00	15.00	5.00	326.75	13.00	चरण-I मंजूरी मिल गई है परन्तु विस्तारित क्षेत्र में ईएमपी मंजूरी में कमी के कारण अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी । 10 एमटीवाई खान क्षेत्र में 15.5 एमटीवाई के लिए ईएमपी मंजूरी प्राप्त । 443 हे0 वन भूमि चरण-I मंजूरी के लिए प्रतीक्षित ।

3.6 विदेश में कोयले परिसंपत्ति का अर्जन

भारत सरकार ने विदेश में कच्चे माल खरीदने के लिए सीपीएसई के बाद दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है। इस नीतिगत दिशानिर्देशों में विदेश में खनिज संसाधनों के अर्जन के लिए प्रक्रिया से संबंधित तथा अन्य मुद्दों में सीपीएसई की लचीलापन बढ़ाने की परिकल्पना है।

3.6.1 मोजाम्बिक में कोयला ब्लॉकों का अधिग्रहण

कोल इंडिया लिमिटेड को मोजाम्बिक में 5 वर्ष की अवधि के लिए 6.8.2009 को दो कोयला ब्लाक ए-1 तथा ए-2 के लिए अन्वेषण लाइसेंस आबंटित किया गया था। कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) को मोजाम्बिक में खनन प्रचालन हेतु अगस्त 2009 में सीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया गया है। सीआईएएल ने फरवरी, 2012 में भावी लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने हेतु मैसर्स यूरोकॉन को नियुक्त किया है । मैसर्स यूरोकॉन द्वारा प्रस्तुत ईएमपी रिपोर्ट के आधार पर आबंटित कोयला ब्लॉकों में अन्वेषण /ड्रिलिंग करने हेतु लाइसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण एवं जनशक्ति संसाधन मंत्रालय, मोजाम्बिक सरकार (जीओएम) को आवेदन भेजा गया है । प्रारंभिक 10000 मीटर ड्रिलिंग हेतु 20 अक्टूबर, 2012 को एक

ड्रिलिंग कंपनी का चयन किया गया है तथा आबंटित कोयला ब्लॉकों में ड्रिलिंग कार्य 9 नवम्बर, 2012 को शुरू हो गया है ।

सीएमपीडीआई के सर्वेक्षण टीम द्वारा आबंटित कोयला ब्लॉकों की बाउण्डरी का कार्य शुरू किया गया था तथा दिसम्बर, 2012 तक 60% का कार्य पूरा हो चुका है ।

भू-वैज्ञानिक मेपिंग का कार्य भी अवार्ड किया गया है और इसके मार्च, 2013 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। यह भी निर्णय लिया गया है कि लगभग 66000 मीटर की अतिरिक्त ड्रिलिंग शीघ्र शुरू की जानी है।

3.6.2 स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) और विदेश में निवेश पर विचार करने के लिए सचिव की अधिकार प्राप्त समिति का गठन।

इस्पात मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त उद्यम कंपनी, इन्टरनेशनल कोल वेन्चर्स लि. (आईसीवीएल), नवरत्न कंपनी जिसे आरआईएनएल, एनएमडीसी तथा एनटीपीसी द्वारा प्रवर्तित किया गया है, विदेशों में अर्जित अपनी कोयला परिसंपत्तियों से कोयले की आपूर्तियां प्राप्त करने के लिए 20 मई, 2009 को गठित की गयी थी। आईसीवीएल का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप से 10,000 करोड़ रूपये की प्राधिकृत पूंजी तथा सदस्यों के अंशदान से 3500 करोड़ रूपए तक की प्रारंभिक इक्विटि पूंजी से प्रदान किया गया था। आईसीवीएल में कोल इंडिया लि. की इक्विटि पूंजी में शेयर 1000 करोड़ रूपए का था।

कोल इंडिया लि. की 8/5/2012 को सम्पन्न उसकी 283वीं बोर्ड की बैठक में इस संयुक्त उद्यम अर्थात आईसीवीएल से हटने का निर्णय लिया गया था। तथापि, कोयला मंत्रालय से संदर्भ के आधार पर आईसीवीएल में कोल इंडिया लि. का बना रहना कोल इंडिया लि. के बोर्ड के विचाराधीन है।

3.7 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के उपाय

कोल इंडिया लि. की रूग्ण सहायक कंपनियों अर्थात ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) तथा भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के पुनरूद्धार के बारे में ईसीएल/बीसीसीएल की पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की पुनसंरचना बोर्ड की बैठक 30.10.2012 को हुई थी। बीआईएफआर की स्थिति से बाहर निकलने के लिए बीआरपीएसई ने ईसीएल तथा बीसीसीएल के लिए उपायों की सिफारिश की है। बीआरपीएसई की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए

19.11.2012 को ईसीएल तथा बीसीसीएल के प्रतिनिधियों के साथ कोयला मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक हुई थी तथा सीआईएल से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया।

2. पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन की बीआरपीएसई द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। चालू परियोजनाओं सहित विभिन्न मानदण्डों का वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन की नियमित रूप से कंपनी बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाती है। चल रही तथा भावी प्रमुख परियोजनाओं और विभिन्न क्रियाकलापों की भी निगरानी सीआईएल के परियोजना मानिटरिंग प्रभाग द्वारा की जा रही है और वे परियोजनाएं जिनकी क्षमता 3 मि.ट. से अधिक है तथा परियोजना की लागत 500 करोड़ रूपए और उससे अधिक है, की निगरानी कोयला मंत्रालय के स्तर पर की जा रही है। बीसीसीएल तथा ईसीएल के मासिक कार्य निष्पादन की निगरानी प्रत्येक महीने होने वाली सीएमडी की समन्वय बैठक में की जाती है।

3.8 केप्टिव खनन

- लोहा और इस्पात के निर्माताओं, विद्युत उत्पादन, खानों से प्राप्त कोयले की धुलाई समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्त्य उपयोगों के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के उद्देश्य से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1973 को समय-समय पर संशोधित किया गया।

- तत्पश्चात, सीमेंट उत्पादन के लिए कोयले के गृहीत खनन हेतु भी सरकार द्वारा दिनांक 15.03.1996 की अधिसूचना के तहत अनुमति दे दी गई है तथा कोयला गैसीकरण (भूमिगत और सतह) के द्वारा प्राप्त सिन-गैस के उत्पादन तथा कोयला द्रवीकरण को भी दिनांक 12.07.2007 की अधिसूचना के द्वारा अन्त्य उपयोगों के रूप में अधिसूचित किया गया।

- इसके अलावा, राज्य सरकार की कंपनियों अथवा उपक्रमों को 12 दिसम्बर, 2001 की संशोधित कोयला खनन नीति, 2001 की कतिपय शर्तों के अधीन देश में कहीं भी या तो ओपनकास्ट अथवा भूमिगत पद्धति से कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयला भंडरों का केप्टिव खनन करने की अनुमति दी जाती है।

लगभग 50 बिलियन टन के भूगर्भीय भंडार वाले 218 कोयला ब्लॉकों का आवंटन कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पात्र सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों को किया गया है। विद्युत परियोजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोला/अल्ट्रा मेगा विद्युत

परियोजनाओं के आधार पर सरकार/निजी एवं विद्युत परियोजनाओं को आवंटित कोयला ब्लॉकों की क्षेत्र-वार संख्या नीचे दी गई है :-

तालिका सं.3.4
कोयला ब्लॉकों के आवेदनों की स्थिति

क्र. सं.	क्षेत्र	सरकारी कंपनियों को	निजी कंपनियों को	यूएमपीपी / शुल्क आधारित बोली	कुल ब्लॉक
		ब्लॉकों की संख्या	ब्लॉकों की संख्या	ब्लॉकों की संख्या	
1.	विद्युत	55	28	12	**95**
2.	वाणिज्यिक खनन	41*	-	-	**41**
3.	लौह एवं इस्पात	4	65	-	**69**
4.	सीमेन्ट	-	8	-	**8**
5.	लघु एवं अलग-थलग	-	3	-	**3**
6.	सीटीएल	-	2	-	**2**
कुल		**100**	**106**	**12**	**218**

* विजय सेन्ट्रल कोल ब्लॉक कोल इंडिया लिमिटेड को लीडर के रूप में तथा एसकेएस इस्पात एंड पावर लि. को एसोसिएट के रूप में आवंटित किया गया। इसलिए इसे सरकारी श्रेणी में रखा गया।

2. इनमें से आज की तारीख की स्थिति के अनुसार 47 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया गया है, आवंटन रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों में से दो ब्लॉकों को उक्त अधिनियम के अधीन पात्र कंपनियों को नए सिरे से आवंटित किया गया था। उपर्युक्त को देखते हुए लगभग 40.00 बिलियन टन के भू-गर्भीय भंडार वाले निवल आवंटित ब्लॉक 178 हैं। 5 कोयला ब्लॉकों के मामले में आवंटन रद्द करने के आदेश वापस ले लिए गए हैं और विकास के लिए 3 कोयला ब्लॉक कोल इंडिया लि. को सौंपे गए हैं।

3.8.1 कैप्टिव ब्लॉकों से कोयले का उत्पादन

कोयला नियंत्रक का संगठन, कोलकाता द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आवंटित कोयला ब्लॉकों में से 33 ब्लॉकों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। वर्ष 2012-13 के लिए उत्पादन (जनवरी, 2013 महीने तक) 30.70 मि.ट. (अनंतिम) है।

3.8.2 अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन की समीक्षा

माननीय वित्त मंत्री के वर्ष 2012-13 के बजट भाषण की घोषणा के अनुसरण में, सरकार द्वारा आबंटित कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों के विकास की आवधिक समीक्षा करने के लिए 21.06.2012 को अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है । आईएमजी के विचारार्थ विषय (टीओआर) नीचे दिए गए हैं:-

(i) आईएमजी आबंटित कोयला खानों/ब्लाकों की प्रगति की आवधिक समीक्षा करेगी तथा आवश्यक होने पर आबंटन रद्द करने सहित की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करेगी ।

(ii) आईएमजी उन उत्तरों पर विचार करेगी जहां कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा जहां आवश्यक हो आबंटन रद्द करने सहित आबंटिति कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की सिफारिश करेगी ।

(iii) आईएमजी अपना निजी आकलन कर सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बैंक गारंटी की कटौती के संबंध में कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है ।

(iv) अन्य कोई मामला जहां प्राधिकारी द्वारा कोई संदर्भ लिया गया हो ।

2. मानीटरिंग तथा बैंक गारंटी की समिति आईएमजी में विलय हो गई। आईएमजी ने 58 मामलों को समीक्षा के लिए लिया जिनमें 11 एवं 12 जनवरी, 2012 को संपन्न समीक्षा समिति द्वारा की गई समीक्षा / सिफारिशों के परिणामस्वरूप उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा जहां पूर्व में की गई समीक्षा के आधार पर बीजी की कटौती करने का निर्णय लिया गया तथा जो लंबित थे, उनकी भी समीक्षा की गई।

3. आईएमजी ने अब तक 17 बैठकें की हैं । आईएमजी ने अपने कार्यकलाप करने तथा बीजी की कटौती की गणना करने के संबंध में दिशानिर्देशों /तौर तरीकों पर चर्चा किया तथा उन्हें अंतिम रूप दिया । आईएमजी ने कोयला ब्लाकों के सभी आबंटिति कंपनियों को अपनी सिफारिशें देने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर देने का भी निर्णय लिया । निजी कंपनियों को किए गए आवंटनों के संबंध में आईएमजी ने 29 कंपनियों को आबंटित 13 कोयला ब्लाकों का आबंटन रद्द करने, 19 कंपनियों को आबंटित 14

ब्लाकों के मामले में बैंक गारंटी की कटौती करने तथा 1 कोयला ब्लाक के मामले में बैंक गारंटी थोपने की सिफारिश की । 2 कंपनियों को आबंटित 3 कोयला ब्लाकों के मामले में कोई कार्रवाई करने की सिफारिश नहीं की गई है । आईएमजी की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई हैं तथा एक मामला जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, के अलावा सभी मामलों में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, आईएमजी ने पीएसयू मामले को लिया और आवंटितियों की सुनवाई के बाद आईएमजी ने 11 ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने, 5 मामलों में बैंक गारंटी काटने, 11 मामलों में बैंक गारंटी लगाने लगाने और 3 मामलों में न्यायालय के आदेशों सहित 6 मामलों में कोई कार्रवाई न करने की सिफारिश की। इन सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई।

3.9 कैप्टिव उपयोग के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन हेतु प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी प्रणाली को शुरू करने के प्रस्ताव की स्थितिः

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 को ऐसी शर्तों जिसे निर्धारित किया जाए, पर प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में टोह की अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टा देने के लिए प्रावधान करने के वास्ते 9 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया है। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगाः-

- जहां सरकारी कंपनी अथवा निगम को खनन अथवा ऐसी अन्य विशिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।

- जहां किसी कंपनी अथवा निगम जिसे शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) दी गई है, को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।

प्रतियोगी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी नियमावली, 2012" को 02.02.2012 को अधिसूचित किया गया था तथा प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया की शुरूआत 13.02.2012 को अधिसूचित की गई। कोयला मंत्रालय ने प्रतियोगी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी नियमावली, 2012 को अंनतिम रूप दे दिया है और विभिन्न सरकारी कंपनियों एवं निगमों को पेशकश के लिए 17 कोयला ब्लॉकों (विद्युत के 14 तथा खनन के लिए 3) को पेशकश हेतु रखा गया।

3.10 झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों के लिए धंसाव और आग नियंत्रण का मास्टर प्लान तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम

झरिया और रानीगंज कोलफील्डों में आग और भूमि धंसाव की समस्याएं राष्ट्रीयकरण से पूर्व 200 वर्षों से पूर्व खान मालिकों द्वारा किए गए अवैज्ञानिक खनन के कारण होती है। गत वर्षों में पुराने खनन क्षेत्रों में आबादी कई गुना बढ़ गई है हालांकि ये क्षेत्र वास के लिए असुरक्षित हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन इलाकों को असुरक्षित घोषित किए जाने के बावजूद आबादी निर्वाध रूप से बढ गई। सरकार द्वारा आग और धंसाव की समस्या का समय-समय पर समाधान किया जा रहा है। इस समस्या से व्यापक रूप से निपटन के लिए इस संबंध में कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिसम्बर, 1996 में किया गया था जिसमें अन्य विभागों, संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे। इन सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 1999 में भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को शामिल करते हुए आग और धंसाव नियंत्रण तथा संबंधित पुनर्वास की समस्याओं का निदान निकालने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना था।

इस आधार पर सरकार ने विभिन्न पर्यावरणीय उपायों एवं धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी) योजनाओं के लिए पहले से स्वीकृत 116.23 करोड़ रूपए सहित 9773.84 करोड़ रूपए (झरिया कोलफील्ड (जेसीएफ) के लिए 7112.11 करोड़ रूपए तथा रानीगंज कोलफील्ड (आरसीएफ) के लिए 2661.73 करोड रूपए) के अनुमानित निवेश से 12 अगस्त, 2009 को भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) के लीजहोल्ड के भीतर आग, धंसाव एवं पुनर्वास और सतही अवसंरचना के परिवर्तन से निपटने के लिए मास्टर प्लान अनुमोदित किया है। इस मास्टर प्लान के दस वर्षों के समय में कार्यान्वित करने की समय-सीमा है और बीसीसीएल के मामले में कार्यान्वयन-पूर्व कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त 2 वर्षों का समय दिया जाता है। सरकार द्वारा अनुमोदित झरिया और रानीगंज के लिए सभी मौजूदा ईएमएससी योजनाओं को मास्टर प्लान में शामिल कर लिया गया है। इस योजना की वित्त-व्यवस्था कोयला मंत्रालय की ईएमएससी प्लान योजना के माध्यम से की जाती है।

पुनर्वास प्रयोजनों के लिए प.बंगाल तथा झारखण्ड राज्य सरकारों ने क्रमशः आसनसोल - दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) और झारखण्ड पुनर्वास विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) को कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में अधिसूचित किया है। कोयला कम्पनियां (ईसीएल तथा बीसीसीएल) तकनीकी सहायता मुहैया करेंगी और परिव्यय की वित्त - व्यवस्था आंशिक रूप से सीआईएल के आन्तरिक संसाधनों और सीसीडीए के अधीन उपकर संग्रह के माध्यम से की जाएगी।

झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों के लिए मास्टर प्लान को शीघ्रता से कार्यान्वित करने हेतु इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन पहलुओं की निगरानी करने के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त केन्द्रीय समिति का गठन किया गया था।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन से 10 आगों को पूरी तरह से बुझाने और आग से पूरी तबाही पर नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने आग से प्रभावित कुल सतह को 17.32 से घटाकर 8.90 किलोमीटर किया गया तथा कोयले की अवरोधता को 1864 मि.ट. से घटाकर 1433 मि.ट. किया गया।

3.11 कर्मचारियों के कल्याण के उपाय

कोल इंडिया लि. ने अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी उपाय शुरू किए हैं। ऐसे उपायों के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

तालिका सं. 3.5

कल्याणकारी उपायों की स्थिति

कल्याणकारी उपाय	राष्ट्रीयकरण के समय	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.12.2012 की स्थिति के अनुसार
उपलब्ध मकानों की सं.	1,18,366	4,19.102	4,15,826	**3,99,311**
आवासीय संतोषप्रदत्ता (%)	21.07%	100%	100%	100%
जलापूर्ति योजना के तहत शामिल जनसंख्या	2,27,300	22,94,973	21,03,328	21,16.923
अस्पताल (सं.)	49	86	85	85
डिस्पेन्सरी (सं.)	197	423	424	424
एम्बूलेंस (सं.)	**42**	**640**	664	664
अस्पताल में बिस्तर	1,482	5,835	5,806	5,806
शैक्षिक संस्थाएं जिन्हें अनुदान-सहायता/ अवसंरचनात्मक/समय-समय पर सहायता प्रदान की गई है	287	623	681	683
कैन्टीन (सं.)	210	481	481	446
सहकारी समितियां (सं.)	177	333	333	333

3.12 पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति

कोल इंडिया लि. की एक सुपरिभाषित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति (आर एंड आर नीति, 2012) है जिसमें भू-वंचितों द्वारा पात्रता के मानदंडों को पूरा करने तथा संबंधित सहायक कंपनी के निदेशक-बोर्ड के अनुमोदन की शर्त पर केवल रिक्तियों को भरने हेतु अपवादस्वरूप परिस्थितियों में अधिग्रहीत भूमि के बदले में रोजगार का प्रावधान है।

3.13 कोयला क्षेत्र के विनियामक की स्थापना

एक स्वतंत्र कोयला विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजा गया था। 10.05.2012 को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में उसने इस पर विचार किया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री-समूह को भेजा जाए। मंत्री-समूह की अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं। मंत्री समूह की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

3.14 कोयला और लिग्नाइट पर रायल्टी में संशोधन

कोयला और लिग्नाइट पर रॉयल्टी दरों को संशोधित करने हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा 04.2.2010 को एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। अध्ययन दल की सिफारिशों के अधार पर कोयले पर 14% की दर से यथामूल्य और लिग्नाइट पर 6% की दर से यथामूल्य दर पर रायल्टी की दरों में संशोधन हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया है तथा उसे सरकार ने अधिसूचना सं.सा.का.नि.349(ई) दिनांक 10.05.2012 के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है।

3.15 (जीसीवी) आधारित ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर कोयला का मूल्य निर्धारण (01.01.2012 से प्रभावी)

सरकार ने 01.01.2012 से गैर-कोकिंग कोयले के मौजूदा उपयोगी ताप मूल्य (यूएचवी) आधारित ग्रेडिंग और मूल्य निर्धारण प्रणाली के स्थान पर सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) आधारित वर्गीकरण अपनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, कोयले की यूएचवी आधारित ग्रेडिंग की पूर्ववर्ती मौजूदा प्रणाली के स्थान पर जीसीवी आधारित वर्गीकरण को अपनाया गया है और कोयला कंपनियों ने 01.01.2012 से नई कीमतें अधिसूचित की हैं। जीसीवी प्रणाली के अधीन प्रत्येक 300 के कैलो./कि.ग्राम की चौड़ाई के 17 बेड़ों को इस इरादे के साथ अधिसूचित किया गया है कि उपभोक्ताओं को कोयले की गुणवता में सुधार और कोयला कंपनी के अनुरूप प्राप्ति को प्रोत्साहित किया जाए।

*****